**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 1818**

**शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए 'सिंगल विंडो सिस्टम'**

**1818. श्री ओम प्रकाश माथुरः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उद्योगों से संबंधित 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' (एन.ओ.सी.) प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाने पर विचार कर रही है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ स्थापित करने की घोषणा की थी जो कि शुरू से अंत तक केन्द्र और राज्य स्तर पर निवेश पूर्व परामर्श, लैंड बैंक से संबंधित सूचना और मंजूरी प्रदान करने सहित सुविधा और सहयोग प्रदान करेगा। इस संबंध में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग सिंगल विंडो सिस्टम की सर्वोत्तम प्रथाओं के विस्तृत अध्ययन के साथ साझा आवेदन प्रपत्र का सरूपण, अनुमोदन की प्रक्रिया आदि पर विस्तृत अध्‍ययन कर रहा है।

\*\*\*\*\*